



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1040]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2017/पौष 8, 1939

No. 1040]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2017/PAUSHA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

सं. 71/2017-केन्द्रीय कर

**सा.का.नि. 1598(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1413(अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 57/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरे को **प्ररूप जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	10 जनवरी, 2018
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 मास के लिए, यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जी एस टी (पीटी)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2017

**No. 71/2017–Central Tax**

**G.S.R. 1598(E).**—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), and in supersession of notification No. 57/2017–Central Tax dated the 15<sup>th</sup> November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1413(E), dated the 15<sup>th</sup> November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendations of the Council, notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who may follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

**TABLE**

Sl. No.	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July-September, 2017	10 <sup>th</sup> January, 2018
2	October-December, 2017	15 <sup>th</sup> February, 2018
3	January-March, 2018	30 <sup>th</sup> April, 2018

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of Section 38 and sub-section (1) of Section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

**सं. 72/2017-केंद्रीय कर**

**सा.का.नि 1599(अ).**—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्याक 1414(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 58/2017-केंद्रीय कर, तारीख